06/07/22

प्रार्थी की ओर से वकील आवेदक की उपस्थिति। वकील आवेदक की बहस सुनी। वकील अनावेदक की बहस सुनी। प्रार्थी के वकील अनावेदक न० 7 की गवाह प्रश्नगत करने पर बहस सुनी। वकील आवेदक की बहस का मनन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादग्रस्त कृषि भूमि वर्गे खातेदार खाता नं० 232 के कुल नं. 688 रकबा 30 बीघा 04 बिस्वा में आवेदकों के पाट के निर्णय तक रिकार्ड पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रकरण लिया जाता है। प्रार्थी मूलवाद के इस प्रकार की प्रार्थना पत्र पर वाद हेतु केवल मूल दिवानी न्यायालय को अधिकार है। अतः आज दिनांक 06/07/22 को निर्णय का पालन हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम